

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

—आदेश—

संख्या—08/स्था० (अभि०)—01 (स्थाना०)—01/2024—3615 /पटना—15, दिनांक— 02.07.2026

विभागान्तर्गत निम्नांकित सहायक अभियंता (असै०) को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभागीय कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त स्तम्भ-4 में अंकित पद पर पूर्णकालिक रूप से प्रतिनियुक्त किया जाता है:—

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम आई० डी० सं०/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रशांत शेखर 5526/जहानाबाद	सहायक अभियंता, अभियंता प्रमुख का कार्यालय (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), जल संसाधन विभाग, पटना	सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का कोषांग	
2	श्री हिमांशु शेखर 5815/पटना	सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3, पटना।	सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का कोषांग	

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- इस आदेश के तहत प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के वेतनादि का भुगतान उनके मूल पदस्थापन कार्यालय से किया जायेगा।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक—08/स्था० (अभि०)—01 (स्थाना०)—01/2024—3615 /पटना—15, दिनांक— 02.07.2026

प्रतिलिपि:— माननीय उप मुख्यमंत्री—सह—जल संसाधन मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख/विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन/अभियंत्रण सहित)/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी मुख्य अभियन्ता (वाल्मी सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार/संबंधित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना [Common integrated website (www.state.bihar.gov.in)] पर प्रकाशित करने हेतु/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।